भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 245

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-आशा योजना

245. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः
श्री अमर शरदराव कालेः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पीडीपीएस) के अंतर्गत किए गए खरीद कार्यों का फसलवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार व्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना के कार्यान्वयन में, विशेष रूप से किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में कोई चुनौतियां आई हैं;

(ग) यदि हां, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या पीएम-आशा के कार्यान्वयन से खेती करने के पैटर्न में, विशेष रूप से तिलहन और दलहन की खेती में कोई बदलाव आया है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार इसका ब्यौरा क्या है;

(च) महाराष्ट्र राज्य में इस योजना के आरंभ के बाद से तिलहन और दलहन की खेती और उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(छ) इस योजना के अंतर्गत आने वाली फसलों की खरीद के लिए बाजार संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या सरकार का पीएम-आशा के अंतर्गत फसलों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कवरेज का विस्तार करने का विचार है, यदि हां, तो प्रत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना में शामिल की जाने वाली फसलों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(झ) क्या सरकार का पीएम-आशा के अंतर्गत फसलों और राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों की कवरेज का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)</u>

(क): भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान वर्ष **2025-26** तक एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को जारी रखने की मंजूरी दी है। सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की एकीकृत योजना, जिसमें मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस), बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) शामिल हैं, को प्रशासित करती है। पीएम-आशा की एकीकृत योजना का उद्देश्य, खरीद कार्यों के कार्यान्वयन में अधिक प्रभावशीलता लाना है जो न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद करेगा बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके उनकी मूल्य अस्थिरता को भी नियंत्रित करेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पीएसएस, पीडीपीएस और एमआईएस का कार्यान्वित करता है जबकि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का उपभोक्ता मामले विभाग पीएसएफ योजना का कार्यान्वित करता है। योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है:

i. मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस): पीएसएस का क्रियान्वयन, सीधे किसानों से उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के अधिसूचित दलहनों, तिलहनों और खोपरे की एमएसपी पर खरीद के लिए किया जाता है, यह खरीद नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) या राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से तब की जाती है, जब इन वस्तुओं का बाजार मूल्य पीक हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान अधिसूचित एमएसपी से नीचे चला जाता है, ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान किया जा सके।

ii. भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस): पीडीपीएस में एमएसपी और बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच मूल्य अंतर का भुगतान पूर्व-पंजीकृत किसानों को निर्धारित अवधि के भीतर अधिसूचित बाजार यार्ड में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास विशेष वर्ष/मौसम के लिए विशेष तिलहनों के लिए पीएसएस या पीडीपीएस में से किसी एक को लागू करने का विकल्प है। इस योजना में फसलों की कोई वास्तविक खरीद शामिल नहीं है क्योंकि किसानों को अधिसूचित बाजार में बिक्री पर एमएसपी और बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच के

अंतर की प्रतिपूर्ति की जाती है।

iii. बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस): एमआईएस को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अनुरोध पर विभिन्न शीघ्र खराब होने वाली कृषि/बागवानी वस्तुओं जैसे टमाटर, प्याज और आलू आदि, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू नहीं होता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले सामान्य सीजन की दरों की तुलना में बाजार में कीमतों में कम से कम 10% की कमी होती है, की खरीद के लिए क्रियान्वित किया जाता है, ताकि किसानों को अपनी उपज को मजबूरी में बेचने के लिए बाध्य न होना पड़े।

iv. मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ): पीएसएफ का क्रियान्वयन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य न केवल कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को कम करना है, बल्कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं को किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराना तथा किसानों को उनकी उपज को मजबूरन बिक्री से बचाना भी है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत फसलवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार खरीद कार्य अनुबंध-I पर दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी राज्य द्वारा भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) योजना लागू नहीं की गई।

(ख) से (घ): केंद्रीय नोडल एजेंसियां, कुछ राज्य सरकार और कुछ राज्य स्तरीय एजेंसियों ने विभिन्न फसलों की खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलें हैं। किसान, सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचने के लिए आधार आधारित पंजीकरण के माध्यम से नेफेड, एनसीसीएफ और राज्य के पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर रहे हैं। खरीद पोर्टल, किसानों को घोषित एमएसपी, निकटतम खरीद केंद्र, खरीद की तिथि/अवधि, उपज की बिक्री के लिए उनकी बुकिंग के एवज में किसानों को स्लॉट/समय का आवंटन आदि के बारे में नवीनतम/अद्यतन जानकारी भी प्रदान करते हैं। ये किसानों को निकटतम खरीद केंद्र में अपनी सुविधा के अनुसार स्टॉक देने में सक्षम बनाते हैं। जिन किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए पंजीकरण किया है, उनके भूमि/फसल रिकॉर्ड को राज्य भूमि रिकॉर्ड से ऑनलाइन सत्यापित किया जाता है। किसानों को सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाने वाली खरीद के बारे में जागरूक करने के लिए एसएमएस और व्हाट्सएप संदेश भेजे जाते हैं।

पीएम-आशा के अंतर्गत पीएसएस दिशानिर्देश-2024, अध्याय II (बी) (vii) के अनुसार, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारें राज्य खरीद एजेंसी को पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करती हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज की प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर उनकी उपज का बकाया भुगतान किया जा सके। राज्य सरकार प्रत्येक वस्तु के लिए एमएसपी मूल्य के कम से कम 15% के बराबर और सरकार द्वारा स्वीकृत अनुमानित उत्पादन/खरीद मात्रा के 25% के अनुसार आकस्मिक व्यय के बराबर एक रिवोलविंग निधि बनाती है।

इसके अलावा, राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से खरीद करने वाली नेफेड और एनसीसएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां किसानों को सीधे पंजीकरण के समय उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी भुगतान जारी करना सुनिश्चित करती हैं। चूंकि एमएसपी का भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किसान के बैंक खाते में अंतरित किया जा रहा है, इसलिए किसी एक किसान के बैंक खाते का उपयोग अन्य किसानों को भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

पीएम-आशा के तहत पीएसएस दिशानिर्देश-2024 के अनुसार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें फसलों के लिए एमएसपी, खरीद केंद्रों का नाम और पता, खरीद अवधि, आवश्यक दस्तावेज, केंद्रीय/राज्य/प्राथमिक खरीद एजेंसियों के अधिकृत व्यक्ति के संपर्क विवरण जैसे पीएसएस संचालन का पर्याप्त प्रचार करेंगी। प्रचार संबंधी गतिविधियों की लागत संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

इसके अलावा, केंद्रीय नोडल एजेंसियां राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ मिलकर किसानों की जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यक्रम चलाती हैं। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट, क्रिएटिव और इन्फोग्राफिक्स के नियमित शेयरिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई।

(ङ) और (च): दलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर पीएसएस के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है। दलहनों और तिलहनों के संबंध में खेती के आंकड़े **अनुबंध-II** पर हैं।

(छ): पीएसएस दिशा-निर्देश, 2024 के अनुसार, राज्य को खरीद शुरू होने से पहले केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य स्तरीय एजेंसियों को बोरी, तौलने की मशीनें, नमी/बाहरी पदार्थ/तेल की मात्रा जांचने वाली मशीनें आदि जैसी सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी होगी। पीएम-आशा के तहत एमएसपी पर अधिसूचित दलहन और तिलहन और खोपरा के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले खरीद कार्यों की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों/पंचायतों को शामिल करने का प्रावधान है, ताकि अधिकतम किसान मूल्य समर्थन संचालन का लाभ उठा सकें। राज्य सरकार खरीद पोर्टल पर किसानों के पंजीकरण और विशेष मौसम में उपज की अनुमानित आवक के आधार पर पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र स्थापित करती है।

(ज) और (झ): पीएम-आशा की एकीकृत योजना देश भर के सभी राज्यों में क्रियान्वित की गई है। विभिन्न योजनाओं के तहत खरीद कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप से एमएसपी के तहत विभिन्न अधिसूचित फसलों के बाजार को आगे की ओर बढ़ाता है।

अनुबंध- I

वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक पीएसएस के तहत एमएसपी पर खरीदे गए दलहन, तिलहन और खोपरा का राज्यवार खरीद विवरण (29.01.2025 तक)			
वर्ष/वस्तु /राज्य	खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपए में)	लाभान्वित किसानों की संख्या
2021-22	**31,82,591.64**	**17,478.31**	**14,68,699**
खोपरा	**32.95**	**0.34**	**115**
तमिलनाडु	**32.95**	**0.34**	**115**
चना	**26,29,460.83**	**13,752.08**	**11,68,730**
आंध्र प्रदेश	**70,393.81**	**368.16**	**29,941**
गुजरात	**5,36,225.00**	**2,804.46**	**2,83,054**
हरियाणा	**1,238.80**	**6.48**	**687**
कर्नाटक	**73,816.85**	**386.06**	**60,470**
मध्य प्रदेश	**8,01,984.49**	**4,194.38**	**2,45,639**
महाराष्ट्र	**7,61,541.55**	**3,982.86**	**3,66,824**
राजस्थान	**2,98,685.74**	**1,562.13**	**1,29,957**
तेलंगाना	**58,485.04**	**305.88**	**39,315**
उत्तर प्रदेश	**27,089.55**	**141.68**	**12,843**
मूंगफली	**1,49,696.34**	**830.81**	**76,647**
गुजरात	**95,183.10**	**528.27**	**51,462**
ओडिशा	**248.43**	**1.38**	**319**
राजस्थान	**53,203.93**	**295.28**	**24,330**
उत्तर प्रदेश	**1,060.88**	**5.89**	**536**
मूंग	**3,63,274.09**	**2,642.82**	**1,95,338**
आंध्र प्रदेश	**2,209.52**	**16.07**	**1,302**
गुजरात	**852.84**	**6.20**	**615**

वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक पीएसएस के तहत एमएसपी पर खरीदे गए दलहन, तिलहन और खोपरा का राज्यवार खरीद विवरण (29.01.2025 तक)			
वर्ष/वस्तु /राज्य	**खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)**	**एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपए में)**	**लाभान्वित किसानों की संख्या**
हरियाणा	**1,227.26**	**8.93**	**898**
कर्नाटक	**13,863.15**	**100.85**	**24,945**
मध्य प्रदेश	**2,75,645.00**	**2,005.32**	**1,26,537**
महाराष्ट्र	**1,636.21**	**11.90**	**3,271**
ओडिशा	**3,800.95**	**27.65**	**4,358**
पंजाब	**2,559.20**	**18.62**	**1,404**
राजस्थान	**57,220.41**	**416.28**	**29,615**
तमिलनाडु	**4,259.55**	**30.99**	**2,393**
सूरजमुखी के बीज	**1,905.44**	**11.46**	**1,200**
हरियाणा	**1,882.45**	**11.32**	**1,130**
ओडिशा	**22.99**	**0.14**	**70**
तूर	**36,184.14**	**227.96**	**24,084**
गुजरात	**19,983.08**	**125.89**	**10,289**
कर्नाटक	**11,986.05**	**75.51**	**8,501**
महाराष्ट्र	**2,360.82**	**14.87**	**2,809**
तमिलनाडु	**32.85**	**0.21**	**58**
तेलंगाना	**1,821.34**	**11.47**	**2,427**
उड़द	**2,037.85**	**12.84**	**2,585**
गुजरात	**99.85**	**0.63**	**118**
मध्य प्रदेश	**291.90**	**1.84**	**261**
महाराष्ट्र	**1,481.37**	**9.33**	**2,020**
राजस्थान	**40.08**	**0.25**	**26**

वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक पीएसएस के तहत एमएसपी पर खरीदे गए दलहन, तिलहन और खोपरा का राज्यवार खरीद विवरण (29.01.2025 तक)			
वर्ष/वस्तु /राज्य	**खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)**	**एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपए में)**	**लाभान्वित किसानों की संख्या**
तेलंगाना	**124.65**	**0.79**	**160**
2022-23	**40,02,057.73**	**22,728.23**	**17,27,663**
खोपरा	**40,849.36**	**432.59**	**19,413**
केरल	**255.85**	**2.71**	**631**
तमिलनाडु	**40,593.51**	**429.89**	**18,782**
चना	**23,53,114.66**	**12,553.87**	**10,29,390**
आंध्र प्रदेश	**63,132.10**	**336.81**	**37,563**
गुजरात	**3,28,449.83**	**1,752.28**	**1,68,797**
कर्नाटक	**79,536.65**	**424.33**	**66,043**
मध्य प्रदेश	**7,95,997.03**	**4,246.64**	**2,23,818**
महाराष्ट्र	**7,72,857.96**	**4,123.20**	**3,92,768**
राजस्थान	**2,47,318.15**	**1,319.44**	**97,967**
तेलंगाना	**50,238.00**	**268.02**	**35,164**
उत्तर प्रदेश	**15,584.94**	**83.15**	**7,270**
मूंगफली	**7,194.11**	**42.09**	**3,668**
ओडिशा	**116.97**	**0.68**	**152**
राजस्थान	**1,012.72**	**5.92**	**571**
उत्तर प्रदेश	**6,064.42**	**35.48**	**2,945**
मसूर	**76,474.57**	**458.85**	**44,799**
मध्य प्रदेश	**64,460.92**	**386.77**	**39,107**
उत्तर प्रदेश	**12,013.65**	**72.08**	**5,692**
मूंग	**4,01,775.42**	**3,115.77**	**1,69,807**

वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक पीएसएस के तहत एमएसपी पर खरीदे गए दलहन, तिलहन और खोपरा का राज्यवार खरीद विवरण (29.01.2025 तक)			
वर्ष/वस्तु /राज्य	**खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)**	**एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपए में)**	**लाभान्वित किसानों की संख्या**
गुजरात	**30.60**	**0.24**	**39**
हरियाणा	**812.33**	**6.30**	**531**
कर्नाटक	**25,308.70**	**196.27**	**22,181**
मध्य प्रदेश	**2,75,645.01**	**2,137.63**	**91,491**
महाराष्ट्र	**183.90**	**1.43**	**194**
ओडिशा	**1,878.88**	**14.57**	**2,815**
पंजाब	**2,019.01**	**15.66**	**1,122**
राजस्थान	**93,703.44**	**726.67**	**49,441**
तमिलनाडु	**2,135.20**	**16.56**	**1,907**
तेलंगाना	**58.35**	**0.45**	**86**
सरसों के बीज	**11,14,395.76**	**6,073.46**	**4,53,897**
असम	**3,273.30**	**17.84**	**1,066**
गुजरात	**84,336.97**	**459.64**	**24,252**
हरियाणा	**3,41,758.49**	**1,862.58**	**1,83,758**
मध्य प्रदेश	**1,67,090.96**	**910.65**	**48,964**
राजस्थान	**4,85,567.67**	**2,646.34**	**1,83,209**
उत्तर प्रदेश	**32,368.37**	**176.41**	**12,648**
कुसुम बीज	**1,629.68**	**9.21**	**1,292**
कर्नाटक	**1,629.68**	**9.21**	**1,292**
सूरजमुखी के बीज	**6,587.72**	**42.16**	**5,370**
ओडिशा	**87.72**	**0.56**	**156**
तेलंगाना	**6,500.00**	**41.60**	**5,214**

वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक पीएसएस के तहत एमएसपी पर खरीदे गए दलहन, तिलहन और खोपरा का राज्यवार खरीद विवरण (29.01.2025 तक)			
वर्ष/वस्तु /राज्य	खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपए में)	लाभान्वित किसानों की संख्या
उड़द	**36.45**	**0.24**	**27**
महाराष्ट्र	**35.80**	**0.24**	**26**
राजस्थान	**0.65**	**0.00**	**1**
2023-24	**21,35,125.54**	**14,226.46**	**9,57,336**
खोपरा	**1,34,341.36**	**1,503.61**	**91,031**
आंध्र प्रदेश	**4,035.95**	**43.83**	**2,562**
कर्नाटक	**50,184.08**	**589.66**	**35,235**
केरल	**1,118.30**	**12.14**	**6,209**
तमिलनाडु	**79,003.03**	**857.97**	**47,025**
चना	**43,120.95**	**234.58**	**15,409**
गुजरात	**139.15**	**0.76**	**84**
मध्य प्रदेश	**41,168.52**	**223.96**	**14,322**
राजस्थान	**1,248.93**	**6.79**	**643**
तेलंगाना	**564.35**	**3.07**	**360**
मूंगफली	**76,153.78**	**485.63**	**27,711**
गुजरात	**1,224.31**	**7.81**	**539**
ओडिशा	**1,329.18**	**8.48**	**1,063**
राजस्थान	**46,452.83**	**296.23**	**19,272**
उत्तर प्रदेश	**27,147.46**	**173.12**	**6,837**
मसूर	**2,48,551.25**	**1,596.94**	**1,16,907**
मध्य प्रदेश	**2,05,739.96**	**1,321.88**	**97,796**
उत्तर प्रदेश	**42,811.29**	**275.06**	**19,111**

वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक पीएसएस के तहत एमएसपी पर खरीदे गए दलहन, तिलहन और खोपरा का राज्यवार खरीद विवरण (29.01.2025 तक)			
वर्ष/वस्तु /राज्य	खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपए में)	लाभान्वित किसानों की संख्या
मूंग	**4,02,097.12**	**3,441.15**	**1,68,351**
गुजरात	**1,269.70**	**10.87**	**611**
हरियाणा	**741.00**	**6.34**	**574**
मध्य प्रदेश	**3,30,212.50**	**2,825.96**	**1,31,395**
ओडिशा	**3,757.57**	**32.16**	**4,197**
राजस्थान	**53,045.20**	**453.96**	**26,174**
तमिलनाडु	**1,924.15**	**16.47**	**1,856**
उत्तर प्रदेश	**11,147.00**	**95.40**	**3,544**
सरसों के बीज	**12,07,809.59**	**6,824.12**	**5,21,946**
असम	**11,102.05**	**62.73**	**3,540**
गुजरात	**1,15,225.80**	**651.03**	**60,068**
हरियाणा	**3,25,938.06**	**1,841.55**	**1,72,874**
मध्य प्रदेश	**3,58,649.99**	**2,026.37**	**98,105**
राजस्थान	**3,51,846.63**	**1,987.93**	**1,67,005**
उत्तर प्रदेश	**45,047.06**	**254.52**	**20,354**
कुसुम बीज	**376.92**	**2.19**	**280**
कर्नाटक	**376.92**	**2.19**	**280**
सोयाबीन	**6,963.22**	**32.03**	**4,086**
गुजरात	**111.50**	**0.51**	**75**
महाराष्ट्र	**769.47**	**3.54**	**577**
तेलंगाना	**6,082.25**	**27.98**	**3,434**
सूरजमुखी के बीज	**15,711.35**	**106.21**	**11,615**

वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक पीएसएस के तहत एमएसपी पर खरीदे गए दलहन, तिलहन और खोपरा का राज्यवार खरीद विवरण (29.01.2025 तक)			
वर्ष/वस्तु /राज्य	**खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)**	**एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपए में)**	**लाभान्वित किसानों की संख्या**
हरियाणा	**7,163.03**	**48.42**	**3,870**
कर्नाटक	**4,749.24**	**32.10**	**4,696**
ओडिशा	**69.10**	**0.47**	**132**
तेलंगाना	**3,729.98**	**25.21**	**2,917**
2024-25	**33,94,370.12**	**20,500.96**	**13,55,898**
खोपरा	**97,334.56**	**1,143.47**	**78,361**
आंध्र प्रदेश	**1,036.80**	**11.57**	**350**
कर्नाटक	**68,108.11**	**817.30**	**58,502**
तमिलनाडु	**28,189.65**	**314.60**	**19,509**
मूंगफली	**13,53,499.26**	**9,180.79**	**4,11,032**
गुजरात	**10,20,162.10**	**6,919.76**	**3,07,904**
कर्नाटक	**646.45**	**4.38**	**716**
राजस्थान	**2,34,888.27**	**1,593.25**	**66,635**
उत्तर प्रदेश	**97,802.44**	**663.39**	**35,777**
मूंग	**1,73,578.30**	**1,507.01**	**1,12,049**
गुजरात	**293.50**	**2.55**	**229**
कर्नाटक	**26,755.85**	**232.29**	**37,648**
महाराष्ट्र	**586.65**	**5.09**	**523**
राजस्थान	**1,44,951.86**	**1,258.47**	**72,042**
तेलंगाना	**990.44**	**8.60**	**1,607**
सोयाबीन	**17,65,396.11**	**8,636.32**	**7,49,762**
गुजरात	**52,568.50**	**257.17**	**20,977**

वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक पीएसएस के तहत एमएसपी पर खरीदे गए दलहन, तिलहन और खोपरा का राज्यवार खरीद विवरण (29.01.2025 तक)			
वर्ष/वस्तु /राज्य	खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपए में)	लाभान्वित किसानों की संख्या
कर्नाटक	18,282.05	89.44	14,906
मध्य प्रदेश	6,22,031.97	3,042.98	2,12,568
महाराष्ट्र	9,00,339.70	4,404.46	4,19,585
राजस्थान	89,098.34	435.87	33,593
तेलंगाना	83,075.55	406.41	48,133
सूरजमुखी के बीज	3,758.85	27.36	4,074
कर्नाटक	3,758.85	27.36	4,074
तूर	509.10	3.84	331
आंध्र प्रदेश	442.00	3.34	307
कर्नाटक	65.95	0.50	22
तेलंगाना	1.15	0.01	2
उड़द	293.94	2.18	289
गुजरात	5.85	0.04	4
महाराष्ट्र	252.39	1.87	245
राजस्थान	35.70	0.26	40

अनुबंध- II

अधिसूचित तिलहन और दलहन की खेती और उत्पादन

वर्ष	क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में				उत्पादन लाख टन में			
	महाराष्ट्र		अखिल भारत		महाराष्ट्र		अखिल भारत	
	तिलहन	दलहन	तिलहन	दलहन	तिलहन	दलहन	तिलहन	दलहन
2018-19	44.57	40.02	247.94	291.53	48.85	26.83	315.22	220.76
2019-20	45.26	41.92	271.39	279.87	51.77	37.36	332.19	230.25
2020-21	47.25	45.29	288.34	287.83	67.18	43.21	359.46	254.63
2021-22	50.35	50.93	289.45	307.31	59.53	50.24	379.63	273.02
2022-23	52.53	49.94	302.39	289.01	69.38	46.35	413.55	260.58
2023-24	54.49	44.32	301.92	274.94	55.94	40.08	396.69	242.42
2024-25	52.22	19.03	197.91	109.99	58.29	15.72	257.45	69.54
% बढ़ोतरी*	22.56	10.74	17.88	-5.7	14.51	49.38	25.85	9.81

* चूंकि वर्ष 2024-25 अभी पूरा होना बाकी है, इसलिए वर्ष 2018-19 और 2023-24 के आंकड़ों की तुलना करके % में वृद्धि की गणना की गई है।

*****